न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 358/**2026** अनवान महेन्द्रसिंह व अन्य बनाम चन्दनमल वगैरा

दिनांक **.05.2026**

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 181/2021 बअनवान चन्दनमल बनाम खंगारसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 –प्रार्थी–चन्दनमल ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बायतु स्थित ग्राम कोलु के ख.नं. 173 व 1028/175 की उल्लेखित हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–हीराराम व अन्य ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु म्याद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्याय हित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री मोहनलाल खत्री एवं रेस्पो0सं0 25 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्राम कोलु स्थित वादग्रस्त खसरान के पडौसी ख0नं0 175 के खातेदार है। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट को व्यक्तिगत नोटिस तामिल नही हुए, नोटिस के पीछे अंकित रिश्तेदार से तामिल करवाये गये, जिससे उसे सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। उपरोक्त दोनों खेत खसरान की ऑनलाईन सेग्रीगेशन वर्ष 2021 में गलत तरमीम कर दी गई, जो मौके एवं कब्जे के अनुसार नही है। रेस्पो0–प्रार्थी की मौके पर जमीन कम है, उक्त तथ्य को छुपाकर अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि को हडपने की नीयत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कायम रखे जाने योग्य नही है। अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य जो बंटवाडा हुआ वह कब्जा के आधार पर नही होकर तरमीम के आधार पर किया गया। जिससे अपीलांट का मौके पर कब्जा प्रभावित हो रहा है। इस कारण गलत नक्शों का प्रयोग कर रेस्पो0 अपीलांट की भूमि को हडपना चाहते है, जबकि

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

त खरीद अपीलांट का कब्जा व निर्माण है। उक्त आदेश की आड़ में रेस्पो0 कुछ दिन पूर्व अपीलांट की खातेदारी भूमि के नेखमबंदी करने को आमदा होने पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी की नियत समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई है। जिसे स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अपीलाधीन आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत डुडों की ढाणी में पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र में भूमिधारी तहसीलदार बायतु को पक्षकार नही बनाया गया और न ही उनका जवाब/रिपोर्ट ली गई, जो कि आज्ञापक है। हस्तगत अपील में अपीलांट का अभिकथन है कि उन्हें व्यक्तिशः नोटिस तामिल नही होने से उन्हें सुनवाई/जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। चूंकि अपीलांट्स–विप्रार्थी सं0 11 व 10 हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहते है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 181/2021 बअनवान चन्दनमल बनाम खंगारसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 21/5/26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर